न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/278

1. नारायण आत्मज श्री कंवरा जाति काछी ।
2. घांसी आत्मज श्री कंवरा जाति काछी ।
3. नन्दकिशोर आत्मज श्री कंवरा जाति काछी ।
4. मोहन लाल आत्मज श्री कंवरा जाति काछी ।
5. बद्री लाल आत्मज श्री प्रभूलाल जाति काछी (मृतक) जरिये कायकमुकामान :–
   5/1. छोटा बाई पत्नी श्री बद्रीलाल ।
   5/2. शिवशंकर आत्मज श्री बद्रीलाल नाबालिग ।
   5/3. सोनू आत्मज श्री बद्रीलाल नाबालिग नाबालिग जरिये वली माता छोटा बाई पत्नी बद्रीलाल जातियान काछी निवासीगण ग्राम सिलोर तहसील व जिला बून्दी ।
6. सन्या पुत्री प्रभूलाल पत्नी गोपाल जाति काछी निवासी ग्राम सथूर तहसील व जिला बून्दी

----अपीलान्ट

बनाम

1. जगन्नाथ आत्मज श्री चतरा जाति काछी निवासी ग्राम सिलोर तहसील व जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. मुस0 दाखा बेवा जगन्नाथ जाति काछी ।
   1/2. छीतर आत्मज श्री जगन्नाथ जाति काछी ।
   1/3. द्वारका बाई पुत्री श्री जगन्नाथ जाति काछी ।
   1/4. बजरंग लाल आत्मज श्री जगन्नाथ जाति काछी ।
   1/5. रमेश चन्द आत्मज श्री जगन्नाथ जाति काछी ।
   1/6. छोटा बाई पुत्री श्री जगन्नाथ जाति काछी ।
2. भंवर लाल आत्मज श्री मथुरा जाति काछी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. रामकल्याण आत्मज श्री भंवर लाल जाति काछी ।
   2/2. खाना आत्मज श्री भंवर लाल जाति काछी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/2/1. भूरी बाई बेवा स्व0 खाना उर्फ कन्हैया लाल ।
   2/2/2. किशन पुत्र स्व0 खाना उर्फ कन्हैया लाल ।
   2/2/3. अनिता पुत्री स्व0 खाना उर्फ कन्हैया लाल ।
   2/2/4. सोनू पुत्री स्व0 खाना उर्फ कन्हैया लाल जाति काछी निवासीगण ग्राम सिलोर तहसील व जिला बून्दी ।
   2/3. मोती आत्मज भंवर लाल जाति काछी ।
   2/4. मदन लाल आत्मज श्री भंवर लाल जाति काछी निवासीगण ग्राम सिलोर तहसील व जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 19.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1/1 से 1/6 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सिलोर तहसील व जिला बून्दी में खसरा नम्बर 24 रकबा 17 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 52/1 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नमरि 59/4 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वसा, खसरा नम्बर 60 रकबा 23 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 61/2 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 331 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 401/1 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 401/2 रकबा 06 बीघा, खसरा नम्बर 402 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 440 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 459/6 रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 460/1 रकबा 03 बीघा कुल किता 14 कुल रकबा 93 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर इस प्रकार से है खसरा नम्बर 91 रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 543 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 544 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 37 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 545 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 531 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 541 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 542 की रकबा 05 बिस्वा कायम हुए हैं । उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा और प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है । राजस्व रिकॉर्ड में वादी का हिस्सा 1/3 दर्ज कर दिया गया है जबकि उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा निहित है । वादी ने कभी भी कोई बंटवारा प्रतिवादीगण के साथ मिलकर नहीं किया है और न ही कोई विधिवत बंटवारा पत्र लिखकर उसका पंजीयन करवाया है । प्रतिवादीगण ने सरकारी अधिकारियों से मिलकर अवैधानिक रूप से ये इन्द्राज करवा लिये हैं वे वादी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते है और प्रारम्भ से ही शून्य होने के कारण उनका कोई प्रभाव नहीं । वादी को अधिकार है कि वह अपने हिस्से 1/2 का स्वयं को खातेदार घोषित करावे ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण कम 1 से 6 के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 व प्रतिवादी कम 1 से 5 व प्रतिवादी कम 8 व 9 का सम्मिलित रूप से 1/2 हिस्सा निर्धारित करते हुए उसका विभाजन किया जावे और विवादित भूमि के 1/2 भाग भूमि पर वादी को कब्जा दिलाया जावे और वादी के हिस्से में आने वाली भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में वादी के खाते में दर्ज किया जावे तथा वादी को प्रतिवादी कम 1 से 5 व प्रतिवादी कम 8 व 9 से हर्जाना स्वरूप राशि दिलायी जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिकी दिनांक 30.12.1995 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिकी जारी कर दी व दिनांक 13.03. 1997 को अंतिम डिकी पारित की । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिकी से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 05.02.2001 के द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज कर दी। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित

निर्णय एवं डिकी से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 02.02.2009 को प्राथमिक एवं अंतिम डिकी निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया ।

5. माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 02.02.2016 कि द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिकी पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 02.02.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 2 से 5 एवं 7 व 8 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान ने आपसी सहमति से आराजी का विभाजन किया हुआ है और पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं । उक्त कथन पर तत्कालीन सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी जिन्हें दौराने सेटलमेंट राजस्व अधिकारी की शक्तियॉ प्राप्त होती हैं ने मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया उक्त मौका निरीक्षण में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य खेत पूर्व में बांट लेना पाये जाने पर उसी पूर्व बंटवारे अनुसार पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग आराजी खाते दर्ज करने की स्वीकृति दिनांक 24.07.1964 को दी गई तब से ही उक्त आराजी में पक्षकारान अपने- अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है और उक्त भूमि उनके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है । वादी जगन्नाथ प्रतिवादी कम 1 भंवर लाल व कंवर लाल के द्वारा सेटलमेंट अधिकारी के यहॉ उपस्थित होकर अपने-अपने अंगूठा निशानी कर आपसी सहमति से पूर्व विभाजन अनुसार खाते अलग-अलग करने का निवेदन किया था जिसके उपरान्त सेटलमेंट विभाग ने उक्त भूमि पक्षकारान के अलग- अलग खाते में दर्ज की थी । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य 50 वर्ष पूर्व ही विभाजन हो गया था । कानूनन उक्त भूमि का दोबारा विभाजन नहीं किया जा सकता । वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा निहित नहीं है । वादी द्वारा सन् 1982 में वाद दायर किया गया था जबकि वादग्रस्त आराजी 1962 से ही पक्षकारान के मध्य अलग-अलग खाते व अलग-अलग कब्जे काश्त में दर्ज है जिसके कारण हक अधिकारों की घोषणा व कब्जा प्राप्ति का वाद लाये बिना मात्र विभाजन का यह वाद चलने योग्य नहीं है । कानूनन सेटलमेंट अधिकारी का आदेश अपील योग्य है । वादी द्वारा उक्त आदेश की कोई अपील नहीं की गई जिसके कारण सेटलमेंट अधिकारी का आदेश अंतिम आदेश है जिसके विरूद्ध वाद वादीगण मेन्टेनेबल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिकी पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 02.02.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के कम पढे-लिखे व्यक्ति हैं जो कानून व प्रकिया को नहीं समझते हैं जिसके कारण अपीलान्ट घरेलू कार्यों में व्यस्त होने के कारण अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके और समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सके । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 06.05.2016 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर अपील तैयार कर पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने दावा वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा डिकी किया गया उसके खिलाफ प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष पेश की गई जो खारिज की गई और द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गई । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनाक 02.02.2009 में परीक्षण न्यायालय को जो निर्देश प्रदान किये हैं उनकी पालना नहीं की गई है जो कि अनिवार्य थे । पूर्व में कायम तनकीयात पर ही निर्णय पारित कर दिया गया है । वादग्रस्त आराजी के बाबत् वादी का विभाजन का दावा मेन्टेनेबल नहीं है क्योंकि आराजी का पूर्व में ही विभाजन हो गया है और खाते अलग–अलग हो गये हैं । पक्षकारान सहखातेदार नहीं हैं । जगन्नाथ और उनके गवाहों ने भी अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि आराजी को अलग–अलग काश्त किया जा रहा है । दस्तावेज प्रदर्श– ए–1 से भी भली–भांति साबित है कि वादी, प्रतिवादी कम 1 भंवर लाल प्रतिवादी कम 2 लगायत 5, 7 व 8 के पूर्वज कंवर लाल ने सन् 1964 में यह कथन किया था कि आपसी सहमति से खेत बांट रहे हैं और इसके अनुसार अलग–अलग कर दिया जावे हम सब सहमत हैं, मौके पर अलग–अलग कब्जा काश्त है । इस कथन पर तत्कालीन सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी जिन्हें सेटलमेंट के दौरान राजस्व अधिकारी की शक्तियॉ प्राप्त होती हैं, मौका निरीक्षण किया और पूर्व में बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग खाता दर्ज करने की स्वीकृति सन् 1964 में दी । वादी इसके विपरीत कोई भी कथन करने से एस्टोप्ड हैं । सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी का आदेश विधि सम्मत है । वादी ने इसके विरूद्ध कहीं भी अपील पेश नहीं की है । वादी के गवाहों ने भी यह स्वीकार किया है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन हो चुका है । 50 वर्षों से पृथक–पृथक काश्त कर रहे हैं । कानूनन एक बार विभाजन होने के बाद दोबारा विभाजन नहीं हो सकता । उपजाऊ क्षमता को देखते हुए आपसी सहमति से बंटवारे से कम ज्यादा भूमि प्राप्त की है जो अवैधानिक नहीं है । पूर्व पारिवारिक व्यवस्था अनुसार फैमिली सेटलमेंट और विभाजन मौखिक भी मान्य है उसके लिखित एवं पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है । दावा दायरी के दिनांक को पक्षकारान सहखातेदार नहीं थे ऐसी स्थिति में विभाजन का दावा मेन्टेनेबल नहीं था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.02.2016 अपास्त किया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1990 पेज 447, आरआरडी 1985 पेज 22 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि भंवर लाल के कायम मुकामान की ओर से कोई अपील पेश नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी में वादी जगन्नाथ का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी भंवर लाल और कंवर लाल पिसरान मथुरा का 1/2 हिस्सा था । सेटलमेंट ने बिना किसी कानूनी अधिकार के वादी के 1/2 हिस्से की भूमि को कम करके वादी को 27 बीघा भूमि दी, जबकि 1/2 हिस्सा से 46 बीघा भूमि आती है । सेटलमेंट का यह इन्द्राज अवैध है और प्रभावशून्य है । वादी ने बयानों में अपना 1/2 हिस्सा बताया है और प्रतिवादी भंवर लाल ने अपने बयानों में सशपथ यह स्वीकार किया है कि आराजी में 1/2 हिस्सा जगन्नाथ और 1/2 हिस्सा भंवर लाल, कंवर लाल का है । सेटलमेंट विभाग के द्वारा पक्षकारान की सहमति के आधार पर भी पक्षकारान का हिस्सा कम ज्यादा नहीं किया जा

सकता । सेटलमेंट विभाग के द्वारा बिना किसी अधिकार के खाता पृथक–पृथक करने का आदेश पारित किया गया है । सेटलमेंट से पूर्व आराजी शामिल में होने से आराजी शामिल में ही मानी जावेगी । प्रतिवादी पूर्वजों में सहमति से बंटवारा होना बताते हैं परन्तु ऐसा कोई बंटवारा पत्र न्यायालय में पेश नहीं किया है । प्रतिवादी भंवर लाल ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि चतरा, मथुरा का बंटवारा उनके सामने नहीं हुआ है । जगन्नाथ, भंवर लाल एवं कंवर लाल के बीच जो बंटवारा हुआ है जिसमें लैण्ड होल्डर तहसीलदार की सहमति नहीं है जब तक बंटवारा वैधानिक नहीं माना जा सकता । बंटवारे के दावे की कोई मियाद नहीं होती है । सेटलमेंट के द्वारा किये गये इन्द्राज अवैध हैं ऐसी स्थिति में सिर्फ बंटवारे का ही दावा पेश किया जा सकता है क्योंकि वादी सेटलमेंट से पूर्व 1/2 हिस्से का सहखातेदार दर्ज था । सेटलमेंट के द्वारा जो अवैध इन्द्राज किया गया है उसके खिलाफ अपील किया जाना आवश्यक नहीं है । रेगूलर दावे से पक्षकारान के हित तय करवाये जा सकते हैं । एक सहखातेदार का प्रत्येक इंच आराजी पर कब्जा होता है । एक सहखातेदार आराजी पर अपना तन्हा कब्जा नहीं बता सकते है । वादी ने सेटलमेंट विभाग के समक्ष कभी खाता अलग करने की कोई सहमति नहीं दी थी और न ही वहॉ उपस्थित हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिकी पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 02.02.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरडी 1982 पेज 158, आरआरडी 1963 पेज 251, आरआरडी 1969 पेज 231, आरआरडी 1990 पेज 17, आरआरडी 1981 पेज 651, आरआरडी 1993 पेज 310, आरआरडी 1994 पेज 266, आरआरडी 1993 पेज 45, आरआरडी 1994 पेज 569, आरआरडी 1988 पेज 598, आरआरडी 1997 पेज 598, आरआरडी 1984 पजे 774, एआईआर (एससी) 1999 पेज 2633, आरआरडी 2004 पेज 171, आरआरडी 1986 पेज 226, आरआरडी 1984 पेज 338, आरआरडी 1982 पेज 665, आरआरडी 2004 पेज 170, आरआरडी 2002 पेज 227, आरआरडी 2006 पेज 655 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा वादग्रस्त आराजी बाबत् पेश कर यह कथन किया गया कि उनका 1/2 हिस्सा निर्धारित करते हुए आराजी का विभाजन किया जावे । दावे का प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो तनकीयात कायम की गई हैं वो पृष्ठ संख्या 82 पर संलग्न है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने यह आपत्ति की है माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा जो रिमाण्ड में निर्देश दिये हैं उनकी पालना में पुनः तनकीयात कायम नहीं की गई हैं और पूर्व में ही कायम तनकियों पर निर्णय किया गया है । इस कम में हमने पत्रावली का अवलोकन किया । माननीय राजस्व मण्डल से पत्रावली विचारण न्यायालय में रिमाण्ड होने पर आने के उपरान्त आदेशिका दिनांक 26.04.2010 के अनुसार प्रतिवादी संशोधित वाद का जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं, तनकीयात पूर्व में बनी हुई हैं, पत्रावली वास्ते शहादत वादी दिनांक 07.06.2010 को पेश हो । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार पत्रावली रिमाण्ड होकर आने के

उपरान्त पूर्व में कायम की गई तनकीयात को यथावत रखते हुए साक्ष्य वादी में पत्रावली नियत की गई थी और उस दिन प्रतिवादी अपीलान्ट के अभिभाषक की उपस्थिति भी दर्ज की गई है । यदि उनको तनकीयात में कुछ अतिरिक्त तनकी शामिल करवानी थी तो उसे तत्समय शामिल करवा सकते थे । अब अपील की स्टेज पर इस बाबत् आपत्ति किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है और विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी अवगत नहीं करवाया है कि ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण तनकी है जो कायम होने से छूट गई की है ।

13. वादी की ओर से नकल जमाबन्दी संवत् 2020 से 2023 प्रदर्श– 1 पेश की गई है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी भंवरया, कंवरिया पिसरान मथुरा हिस्सा 1/2, जगन्नाथ वल्द चतरा हिस्सा 1/2 दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 प्रदश-- प्रदर्श–2 पेश किया है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी भंवरया, कंवरया पिसरान मथुरा हिस्सा 1/2 व जगन्नाथ वल्द चतरा हिस्सा 1/2 खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 प्रदर्श– 3 पेश की है जिसके अनुसार कुल 02 किता की 27 बीघा 11 बिस्वा भूमि जगन्नाथ वल्द चतरा के नाम खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी सवंत् 2035 से 2038 प्रदर्श– 4 पेश की है जिसके अनुसार कुल 02 किता की 29 बीघा 09 बिस्वा आराजी कंवरिया वल्द मथुरा के नाम खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 प्रदर्श– 5 पेश की है जिसके अनुसार कुल 03 किता की 35 बीघा 01 बिस्वा भूमि भंवरया वल्द मथुरा के नाम खातेदारी में दर्ज है ।

14. प्रतिवादी की ओर से सेटलमेंट विभाग की फर्द इख्तलाफ साथ प्रदर्श– ए–1 पेश किया है जिसके अनुसार भंवरिया, कंवरिया और जगन्नाथ की सहमति के आधार पर खाता पृथक करते हुए जगन्नाथ के खाते में 27 बीघा 11 बिस्वा, भंवरिया के खाते में कुल 03 किता की 35 बीघा 01 बिस्वा भूमि और कंवरिया के खाते में 02 किता की 29 बीघा 09 बिस्वा भूमि दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं । प्रदर्श– ए–2 भू–प्रबन्ध विभाग की मिसल बन्दोबस्त की प्रति है । प्रदर्श– ए– 3व 4 भू–प्रबन्ध विभाग का पर्चा लगान की प्रति हैं । प्रदर्श–ए–6 खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति है । प्रदर्श– ए–7 भी खसरा गिरदावरी की प्रमाणि प्रति है ।

15. पत्रावली पर बयान जगन्नाथ वादी प्रतिवादी की ओर से बयान भंवर लाल, मोती लाल, डीडब्ल्यू–3 चेतराम, डीडब्ल्यू– 4 धन्ना, डीडब्ल्यू– 5 रामकल्याण व नन्दकिशोर कराये गये हैं कुछ बयानों पर पीडब्ल्यू अथवा डी डब्ल्यू अंकित नहीं है ।

16. वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 व 2 पक्षकारान के सहखातेदारी में दर्ज थी जिसमें जगन्नाथ का 1/2 हिस्सा एवं भंवरया, कंवरया का 1/2 हिस्सा दर्ज था । प्रदर्श–ए–1 के अनुसार सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने वादग्रस्त आराजी का पक्षकारों की सहमति के आधार पर विभाजन करते हुए वादी जगन्नाथ जिसका कि वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा निहित था उसका हिस्सा कम करते हुए 27 बीघा 11 बिस्वा आराजी उसके खाते दर्ज करने के आदेश दिये हैं और प्रतिवादी कंवरया के खाते में 29 बीघा 09 बिस्वा और भंवरया को 35 बीघा 01 बिस्वा आराजी दर्ज करने के आदेश दिये हैं जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उनके हिस्से से कहीं अधिक है । सेटलमेंट को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पक्षकारों के हिस्से को कम या ज्यादा करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही सेटलमेंट विभाग को आराजी का विभाजन करने का अधिकार है क्योंकि आराजी का विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत होता है और सेटलमेंट के दौरान सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत शक्तियॉं प्रदान की जाती है न कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ।

17. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस आरआरडी 1990 पेज 447 उद्धरत की और यह कथन किया कि तहसीलदार की शक्तियॉ दौराने सेटलमेंट सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को प्राप्त होती हैं परन्तु इस प्रकरण में सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत लैण्ड होल्डर की हैसियत से तहसीलदार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए खातों को पृथक किया गया है जबकि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत तहसीलदार के रूप में दौराने सेटलमेंट शक्तियॉ प्राप्त होती हैं न कि लैण्ड होल्डर की शक्तियॉ । इस प्रकार सेटलमेंट विभाग का यह कृत्य अवैध है । सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में वादी के दर्ज हिस्से को कम कर प्रतिवादीगण के हिस्से को बढा दिया गया है और विभाजन भी वादग्रस्त आराजी का कर दिया है । ये दोनों ही कृत्य अवैध हैं एवं प्रभावशून्य है ।

18. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्धरत नजीरें आरआरडी 1969 पेज 231, आरआरडी 1993 पेज 45, आरआरडी 1994 पेज 266 यहॉ चस्पा होती हैं । जहॉ तक विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन है कि पक्षकारों ने आपसी सहमति से विभाजन करवाया है । यदि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत आपसी सहमति से कोई विभाजन किया जाता है तो भी वह वैधानिक नहीं माना जावेगा । आरआरडी 1994 पेज 569 यहॉ चस्पा होती है । आरआरडी 1988 पेज 598 भी यहॉ चस्पा होती है ।

19. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेश की कहीं भी अपील नहीं की गई है । इस कम में हमारा मत है कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी का आदेश जो प्रारम्भ से ही शून्य है उसकी अपील किये बिना रेगूलर दावा पेश कर वादी अपने अधिकारों का निर्धारण करवा सकते हैं । सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेश की अपील किया जाना आवश्यक नहीं है । वादी जगन्नाथ ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि आधी जमीन मेरे खाते में आनी चाहिए, मेरे पास 26–27 बीघा जमीन है । मेरी जमीन कम की गई है जो 02 पांती की जगह तीन पांती करने से हुई । मुझे तीन पांती करने का किसी ने नहीं कहा मेने किसी से नहीं कहा कि तीन पांती करो, मैं आधी जमीन लेना चाहता हूँ, सेटलमेंट वाले मेरे गॉव आये थे उन्होंने मेरे अंगूठा/हस्ताक्षर नहीं करवाये थे । 20–25 साल से 27 बीघा में ही काश्त कर रहा हूँ । यह सही नहीं है कि आपसी सहमति से सेटलमेंट के समक्ष समझौता किया । इस प्रकार वादी ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि उसने सेटलमेंट वालों के समक्ष कोई समझौता नहीं किया था उसका वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा निहित है । अपीलान्ट ने यह भी आपत्ति की है कि पक्षकारान विभाजन के अनुसार अलग–अलग हिस्से पर काश्त कर रहे हैं परन्तु विभाजन जो सेटलमेंट विभाग ने किया है अवैध है इस कारण से आराजी को संयुक्त खाते की आराजी ही माना जावेगा और संयुक्त खाते की आराजी में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है । एक सहखातेदार का कब्जा दूसरे के विपरीत नहीं माना जा सकता । आरआरडी 1986 पेज 226, आरआरडी 2004 पेज 171, आरआरडी 2002 पेज 227 यहॉ चस्पा होती हैं ।

20. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण कंवरया एवं भंवरया दोनों के वारिस प्रतिवादी थे और अपील सिफ कंवरया के वारिसान ने की है भंवरया के वारिसान ने कोई अपील नहीं की है ।

21. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना नहीं की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल से प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरान्त पूर्व में कायम की गई तनकियों को यथावत रखते हुए पक्षकारों की साक्ष्य ली गई है और अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 05.05.2015 के अनुसार उभय पक्षकारान की सहमति से तनकी नम्बर 01 से 3 को वादी और तनकी नम्बर 04 से 08 को प्रतिवादी द्वारा साबित किया जाना स्वीकार किया गया और उभय पक्षीय साक्ष्य लेने के उपरान्त बहस सुनी जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है ।

22. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

23. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.02.2016 बहाल रखा जाता है ।

24. निर्णय आज दिनांक 19.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/278

1. नारायण आत्मज श्री कंवरा जाति काछी ।
2. घांसी आत्मज श्री कंवरा जाति काछी ।
3. नन्दकिशोर आत्मज श्री कंवरा जाति काछी ।
4. मोहन लाल आत्मज श्री कंवरा जाति काछी ।
5. बद्री लाल आत्मज श्री प्रभूलाल जाति काछी (मृतक) जरिये कायकमुकामान :–
   5/1. छोटा बाई पत्नी श्री बद्रीलाल ।
   5/2. शिवशंकर आत्मज श्री बद्रीलाल नाबालिग ।
   5/3. सोनू आत्मज श्री बद्रीलाल नाबालिग नाबालिग जरिये वली माता छोटा बाई पत्नी बद्रीलाल जातियान काछी निवासीगण ग्राम सिलोर तहसील व जिला बून्दी ।
6. सन्या पुत्री प्रभूलाल पत्नी गोपाल जाति काछी निवासी ग्राम सथूर तहसील व जिला बून्दी

—अपीलार्थी

बनाम

1. जगन्नाथ आत्मज श्री चतरा जाति काछी निवासी ग्राम सिलोर तहसील व जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. मुस0 दाखा बेवा जगन्नाथ जाति काछी ।
   1/2. छीतर आत्मज श्री जगन्नाथ जाति काछी ।
   1/3. द्वारका बाई पुत्री श्री जगन्नाथ जाति काछी ।
   1/4. बजरंग लाल आत्मज श्री जगन्नाथ जाति काछी ।
   1/5. रमेश चन्द आत्मज श्री जगन्नाथ जाति काछी ।
   1/6. छोटा बाई पुत्री श्री जगन्नाथ जाति काछी ।
2. भंवर लाल आत्मज श्री मथुरा जाति काछी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. रामकल्याण आत्मज श्री भंवर लाल जाति काछी ।
   2/2. खाना आत्मज श्री भंवर लाल जाति काछी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/2/1. भूरी बाई बेवा स्व0 खाना उर्फ कन्हैया लाल ।
   2/2/2. किशन पुत्र स्व0 खाना उर्फ कन्हैया लाल ।
   2/2/3. अनिता पुत्री स्व0 खाना उर्फ कन्हैया लाल ।

2/2/4. सोनू पुत्री स्व0 खाना उर्फ कन्हैया लाल जाति काछी निवासीगण ग्राम सिलोर तहसील व जिला बून्दी ।
2/3. मोती आत्मज भंवर लाल जाति काछी ।
2/4. मदन लाल आत्मज श्री भंवर लाल जाति काछी निवासीगण ग्राम सिलोर तहसील व जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला बून्दी ।

---प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिकी दिनांक 02.02.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 24/दावा/2009

1. जगन्नाथ आत्मज श्री चतरा जाति काछी निवासी ग्राम सिलोर तहसील व जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   1/1. मुस0 दाख बेवा जगन्नाथ जाति काछी ।
   1/2. छीतर आत्मज श्री जगन्नाथ जाति काछी ।
   1/3. द्वारका बाई पुत्री श्री जगन्नाथ जाति काछी ।
   1/4. बजरंग लाल आत्मज श्री जगन्नाथ जाति काछी ।
   1/5. रमेश चन्द आत्मज श्री जगन्नाथ जाति काछी ।
   1/6. छोटा बाई पुत्री श्री जगन्नाथ जाति काछी ।

---वादी

बनाम

1. भंवर लाल आत्मज श्री मथुरा जाति काछी (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   1/1. रामकल्याण आत्मज श्री भंवर लाल जाति काछी ।
   1/2. खाना आत्मज श्री भंवर लाल जाति काछी (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   1/3. मोती आत्मज भंवर लाल जाति काछी ।
   1/4. मदन लाल आत्मज श्री भंवर लाल जाति काछी निवासीगण ग्राम सिलोर तहसील व जिला बून्दी ।
2. नारायण आत्मज श्री कंवरा जाति काछी ।
3. घांसी आत्मज श्री कंवरा जाति काछी ।

4. नन्दकिशोर आत्मज श्री कंवरा जाति काछी ।
5. मोहन लाल आत्मज श्री कंवरा जाति काछी ।
6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बून्दी ।
7. बद्री लाल आत्मज श्री प्रभूलाल जाति काछी ।
8. सन्या पुत्री प्रभूलाल पत्नी गोपाल जाति काछी निवासी ग्राम सथूर तहसील व जिला बून्दी

---प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 02.02.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 19.02.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामदत्त शर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 02.02.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिकी आज तारीख 19.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

19.2.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा